28-07-2023

सप्तदश माला, खंड 25, अंक 7 **शुक्रवार, 28 जुलाई 2023**
6 श्रावण, 1945 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 25 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

<u>सम्पादक मंडल</u>

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

ब्रजेश कुमार
संयुक्त निदेशक

विकास नेमा
उप निदेशक

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 25, बारहवां सत्र, 2023 / 1945 (शक)
अंक 7 , शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 / 6 श्रावण , 1945 (शक)

विषय **पृष्ठ संख्या**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या 121 10

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 122 से 140 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610 12

सभा पटल पर रखे गए पत्र 13-19

राज्य सभा से संदेश 20
और
राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक
अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति
20वां और 21वांप्रतिवेदन 21

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति
23वाँ प्रतिवेदन 22

मंत्री द्वारा वक्तव्य 23-24

(एक)(क) रक्षा मंत्रालय से संबंधित थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, एम.ई.एस, ई.सी.एच.एस. और सैनिक स्कूलों (मांग सं. 20 और 21) संबंधी अनुदान की मांगों (2022-23) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 23

(ख) रक्षा मंत्रालय से संबंधित रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और वैवाहिक आवास परियोजना (मांग सं. 21) संबंधी अनुदान की मांगों (2022-23) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 23

(ग) रक्षा मंत्रालय से संबंधित आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 20 और 21) संबंधी अनुदान की मांगों (2022-23) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 29वें

प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

एडवोकेट अजय भट्ट 24

सभा का कार्य 25-26

भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 27

नियम 377 के अधीन मामले 28-40

(एक) बिहार में बिहटा अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव 28-29

(दो) बिहार के दरभंगा जिले में एम्स का निर्माण कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री गोपाल जी ठाकुर 30

(तीन) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में चैथम द्वीप और बैम्बू फ्लैट द्वीप को जोड़े जाने हेतु एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री कुलदीप राय शर्मा 31

(चार) इडुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रबड़ उद्योग को राजसहायता देना शुरू किए जाने की आवश्यकता

एडवोकेट डीन कुरियाकोस 32

(पाँच) मौजूदा नेशनल एक्ज़िट टेस्ट (एन.इएक्स.टी) को प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन 33

(छह) सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए संघ की भर्ती एजेंसियों द्वारा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को आपस में जोड़े जाने और उनमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. पोन गौतम सिगामणि 34

(सात) मछलीपटनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर आर.ओ.बी./आर.यू.बी. के निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी 35

(आठ) बदलापुर, अंबरनाथ और डोंबिवली रेलवे स्टेशनों पर ए.सी. लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता बारे में

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे 36

(नौ) बिहार के कोसी और सीमावर्ती क्षेत्र में रेल सेवाएं आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री दिलेश्वर कामैत 37

(दस) लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कवरेज और सहायता प्रदान किए जाने और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अधिनियमों पर फिर से विचार किए जाने के लिए उचित नीतियों को लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री सैयद इम्तियाज़ जलील 38-39

(ग्यारह) कोट्टायम में पासपोर्ट सेवा केंद्र को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री थोमस चाज़िकाडन 40

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक,2023 41-61

विचार के लिए प्रस्ताव 41

श्री प्रहलाद जोशी 41, 45-54

श्री सुनील कुमार सिंह 41-43

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी 44-45

खंड 2 से 21 और 1 54-60

पारित किए जाने हेतु प्रस्ताव 60-61

राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023 61-64

विचार के लिए प्रस्ताव 61-62

श्री मनसुख मांडविया 61-63

खंड 2 से 57 और 1 63

पारित किए जाने हेतु प्रस्ताव 64

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 63-65

विचार के लिए प्रस्ताव 63

श्री मनसुख मांडविया 63

खंड 2 से 59 और 1 64

पारित किए जाने हेतु प्रस्ताव 65

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 / 6 श्रावण, 1945 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर *

[हिंदी] **(प्रश्न संख्या 121)**

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल, क्वेश्चन नम्बर 121

एडवोकेट ए.एम. आरिफ जी।

… (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्न काल चलना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं? प्रश्न काल सभी के लिए महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आप सभी से आग्रह है, मैंने सभी दलों की बैठक में भी कहा था और फिर से आपसे आग्रह कर रहा हूं। क्या आप प्रश्न काल नहीं चलाना चाहते हैं? यह प्रश्न काल आपका है, सरकार की जवाबदेही होती है। क्या आप प्रश्न काल नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

---

* **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल चलाइए, उसके बाद मैं व्यवस्था दूंगा। सदन नियम-कानून से चलता है।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हम विपक्ष हैं, हमारी भी कुछ मांग होती है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। वर्ष 1978 में 10 मई को इसी सदन में विपक्ष ने एक अविश्वास प्रस्ताव दिया था और उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। आज ऐसे क्यों देर हो रही है? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप प्रश्न काल प्रश्न काल नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने जो अनुरोध किया है, मैं उस पर व्यवस्था दूंगा। क्या आप प्रश्न काल नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.03 बजे</u>

इस समय, श्री बैन्नी बेहनन, श्री टी. एन. प्रथापन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): अध्यक्ष महोदय, नियम के अनुसार दस दिन का समय है, आप जब भी डिसाइड करेंगे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, मैं यह भी बोलना चाहता हूं कि अगर आपको इतना अविश्वास है ... (व्यवधान) सरकार के पास नम्बर है। अगर वह ऐसा समझते हैं तो उन्हें तुरंत हमारा बिल निरस्त करने दो। हमारा बिल निरस्त करने दो तो ऑटोमेटिकली सब झंझट ही खत्म हो जाएगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपसे फिर से आग्रह कर रहा हूं।

… (व्यवधान)

28-07-2023

<u>प्रश्नों के लिखित उत्तर</u> *

(तारांकित प्रश्न सं. 122 से 140 तक
अतारांकित प्रश्न सं. 1381 से 1610)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>पूर्वाह्न 11.03½ बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———————

* **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल *पीठासीन हुए*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। **(अनुवाद)** विनिर्णय पहले ही दिया जा चुका है।

… (व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

इस समय, श्री कल्याण बनर्जी, डॉ. अमर सिंह, श्री बी. मणिक्कम टैगोर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अपराह्न 12.01½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

(हिंदी)

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर -2, श्री श्रीपाद येसो नाईक जी।

(अनुवाद)

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ: -

(1) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 की धारा 51 के अंतर्गत नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता (प्रशिक्षण संगठनों प्रत्यायन) नियम, 2022 जो 13 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.178(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 9734/17/23]

(3) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 47 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. आई.एम.यू./एच.क्यू/ए.डी.एम./अधिसूचना/2023/01 जो 6 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के परिनियम 7(1) 2020 के अध्यादेश सं. 02 और 2019 के अध्यादेश सं. 04 में संशोधन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)

[पुस्तकालय में रखा गया, अंक(सं) एल.टी. 9735/17/23 देखें]

(4) (एक) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, गौतमबुद्ध नगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 9736/17/23]

… (*व्यवधान*)

(हिंदी)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 44 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियम, 2023 जो 5 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 269(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 जो 11 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 493(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 9737/17/23]

(2) सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सरोगेसी विनियम, 2023 जो 5 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.270(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 जो 8 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.415(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 जो 11 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.494(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 9738/17/23]

(3) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और

व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2023, जो 31 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 400(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[पुस्तकालय में रखा गया, अंक(सं) एल.टी. 9739/17/23 देखें]

… (व्यवधान)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) औषधि (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 जो 11 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2165(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) औषधि (मूल्य नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2023 जो 25 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2324(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 9740/17/23]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 9741/17/23]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[पुस्तकालय में रखा गया, अंक(सं) एल.टी. 9742/17/23 देखें]

(4) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 9743/17/23]

(अनुवाद)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) (एक) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 9744/17/23]

… (*व्यवधान*)

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. (प्रो.) महेन्द्र मुंजपरा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) उत्तर-पूर्व आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर पूर्व आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

28-07-2023

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 9745/17/23]

… (*व्यवधान*)

28-07-2023

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक *

महासचिव: महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देना चाहता हूँ:-

"राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में , मुझे चलचित्र (संशोधन) विधेयक , 2023 *, जिसे राज्य सभा द्वारा अपनी 27 जुलाई, 2023 की बैठक में पारित किया गया था, की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं 27 जुलाई, 2023 को राज्य सभा द्वारा पारित चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023 को सभा पटल पर रखता हूं।

———————

… (*व्यवधान*)

* सभा-पटल पर रखा गया

<u>अपराह्न 12.02½ बजे</u>

<u>अन्य पिछडे वर्गों के कल्याण संबंधी समिति</u>

20वां और 21वांप्रतिवेदन

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): महोदय, मैं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित 'मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड (एम.एफ.एल.), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.वी.एफ.सी.एल.) और फर्टिलाइज़र और केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफ.ए.सी.टी.) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के संबंध में समिति (2022-23) का बीसवां प्रतिवेदन।

(2) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) में रोजगार मे अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के संबंध में समिति (2022-23) का इक्कीसवां प्रतिवेदन।

… (*व्यवधान*)

28-07-2023

अपराह्न 12.03 बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

23वां प्रतिवेदन

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): महोदय, मैं 'भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति: संभावनाएं और सीमाएं' विषय के बारे में सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में विदेशी मामलों संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) का तेईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेज़ी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ

… (*व्यवधान*)

28-07-2023

<u>अपराह्न 12.04 बजे</u>

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक)(क) रक्षा मंत्रालय से संबंधित थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, एम.ई.एस, ई.सी.एच.एस. और सैनिक स्कूलों (मांग सं. 20 और 21) संबंधी अनुदान की मांगों (2022-23) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति *

(हिंदी)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं रक्षा मंत्रालय से संबंधित थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, एमईएस, ईसीएचएस और सैनिक स्कूलों (मांग सं. 20 और 21) संबंधी अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

(अनुवाद)

(ख) रक्षा मंत्रालय से संबंधित रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और वैवाहिक आवास परियोजना (मांग सं. 21) संबंधी अनुदान की मांगों (2022-23) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति *

(हिंदी)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं रक्षा मंत्रालय से संबंधित रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और वैवाहिक आवास परियोजना (मांग सं. 21) संबंधी अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

* सभा पटल पर और,ग्रंथालय में रखा गया, देखिए क्रमशः एल.टी. संख्या 9745ए/17/23 और 9745बी/17/23.

(अनुवाद)

(ग) रक्षा मंत्रालय से संबंधित आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) – नए डी.पी.एस.यू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 20 और 21) संबंधी अनुदान की मांगों (2022-23) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*[1]

(हिंदी)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं रक्षा मंत्रालय से संबंधित आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) – नये डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 20 और 21) संबंधी अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 29**वें** प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

… (*व्यवधान*)

[1]* सभा-पटल पर और ग्रंथालय में रखा गया,देखिए एल.टी.संख्या 9745सी /17/23.

28-07-2023

<u>अपराह्न</u> <u>12.05 बजे</u>

सभा का कार्य

कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं यह घोषणा करने के लिए खड़ा हूं कि सोमवार 31 जुलाई, 2023 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्यवाही में निम्नलिखित शामिल होंगेः-

1. आज के आदेश पत्र से लिए गए सरकारी व्यवसाय की किसी भी मद पर विचार:- [इसमें निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना शामिल हैः- (1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023: (2) राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023; और (3) राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023]... (*व्यवधान*)
2. भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का संख्यांक 1) 19 मई, 2023 के निरनुमोदन की मांग करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार और पारित करना। ..(*व्यवधान*)
3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारित करना:-
   - (एक) जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023;2023;
   - (दो) संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023;
   - (तीन) संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023;
   - (चार) जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023;
   - (पाँच) जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023;

(छः) अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023;

(सात) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023; और

(आठ) अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 ... (*व्यवधान*)

4. *राज्यसभा द्वारा यथापारित* चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023, पर विचार करना और पारित करना।... (*व्यवधान*)

5. *राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात्* मध्यक्ता विधेयक, 2021 पर विचार करना और पारित करना। … (*व्यवधान*)

6. *राज्यसभा द्वारा पुरःस्थापित किए जाने,विचार किए जाने और पारित किए जाने के पश्चात* निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना और उन्हें पारित करना:-

(एक) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023; और

(दो) प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2023 ...--- (*व्यवधान*)

7. *पुरःस्थापन के पश्चात* भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार और पारित करना। ... (*व्यवधान*)

(हिंदी)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 12, श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी।

… (व्यवधान)

अपराह्न 12.07 बजे

भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 *

शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापति करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापति करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

श्री मनीष तिवारी जी।

… (व्यवधान)

(अनुवाद)

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहब): महोदय, सबसे पहले, मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव... (*व्यवधान*)

(हिंदी)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापति करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

… (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: सभापति महोदय, मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं। ... (व्यवधान)

---

* भारत के राजपत्र,असाधारण,भाग-II,खंड-2,में दिनांक 28-7-2023 को प्रकाशित

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित

28-07-2023

अपराह्न 12.08 बजे

नियम 377 के अधीन मामले *

(हिंदी)

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अन्दर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

(एक) बिहार में बिहटा अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलीपुत्र के अंतर्गत पटना जिला के बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा काफी दिन पूर्व दी गयी है। बिहार सरकार ने जमीन का अधिग्रहण कर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया है। अधिगृहित जमीन की बाउंडरी भी हो चुकी है। लेकिन अभी तक निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। केन्द्र सरकार से स्वीकृत बिटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास से एन.एच. संख्या 30 पटना-बक्सर सड़क गुजर रही है। उस पथ पर बिहटा से दानापुर तक एलिवेटेड सड़क के निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहटा- सरमेरा पथ जो 6 लेन पटना रिंग रोड का हिस्सा भी है, उसका निर्माण काफी तेजी से हो रहा है। बिहटा में आई.आई.आई.टी. , नाइलेट, ई.एस. आई.सी. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, एन.आई.टी., फुटवेयर डिजाइनिंग इंस्टिट्यूट, ड्राई पोर्ट एवं कई आद्यौगिक पार्क सहित कई अन्य सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान कार्यरत है या निर्माणाधीन है। राजधानी पटना का तेजी से विस्तार दानापुर से बिहटा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में हो रहा है। उसके अलावा एन. एच. संख्या 30 पटना-बक्सर, बिहटा-सरमेरा, रामनगरकन्हौली 6 लेन सड़क, शेरपुर में प्रस्तावित गंगा नदी पर पुल के निर्माण से बिहटा

* सभा-पटल पर रखा हुआ माना गया

औरंगाबाद, एयरपोर्ट से आरा, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, अरवल, जहानाबाद, रोहतास, नालंदा सहित अन्य जिलों को एयरपोर्ट की सरल, सुगम और तेज संपर्कता प्राप्त होगी। उपरोक्त वर्णित बातों से स्वतः स्पष्ट है कि एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की सभी वांछित अहर्ताएं बिहटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पूरा कर रहा है, फिर भी निर्माण कार्य शुरू होने में विलम्ब क्यों हो रहा है।

अतः माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि बिहटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने हेतु द्रुत कार्रवाई की जाए।

28-07-2023

(दो) बिहार के दरभंगा जिले में एम्स का निर्माण कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): मिथिला एवं उत्तर बिहार का प्रमुख शहर दरभंगा में 750 बेड वाले एम्स का निर्माण 1264 करोड़ की लागत से होना सुनिश्चित हुआ है तथा जिसके लिए 15 सितंबर 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। यहां तक कि भारत सरकार ने डायरेक्टर की भी नियुक्ति कर दी है ताकि एम्स का निर्माण तीव्रगति से हो सके, परंतु बिहार सरकार की दरभंगा एम्स के प्रति उदासीनता एवं अटकाने, लटकाने और भटकाने की नीति के कारण आज तक दरभंगा एम्स का निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका है। बिहार सरकार ने दरभंगा एम्स को डी. एम. सी. एच. परिसर में 200 एकड़ भूमि कैबिनेट से पास करके भारत सरकार को भेज दिया तथा जहाँ एम्स निर्माण से संबंधित मिट्टीकरण, भूमि का समतलीकरण और पुराने भवनों को हटाने का कार्य अंतिम चरण में था, तब अचानक बिहार सरकार ने अपने ही कैबिनेट के फैसले को पलटते हुए बागमती नदी के किनारे शोभन में देने की बात की जो भूमि एम्स हेतु उपयुक्त नहीं थी तथा जिसकी पुष्टि जदयू सांसदों का लिखा पत्र और कांग्रेस एमएलसी का विधान परिषद में दिया गया वक्तव्य भी करता है। बाद में तकनीकी टीम ने भी उक्त भूमि को एम्स के लिए उपयुक्त नहीं माना। यह आम जनता के स्वास्थ्य एवं मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ा मामला है। अतः इसका निर्माण तय समय सीमा के भीतर किया जाना आवश्यक है ताकि इसका लाभ करोड़ों मिथिलावासियों को मिल सके। लेकिन अफसोस बिहार सरकार की मिथिलावासियों के प्रति दुर्भावना और नफरत के कारण दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य आजतक प्रारंभ नहीं हो सका है।

28-07-2023

(अनुवाद)

(तीन) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में चैथम द्वीप और बैम्बू फ्लैट द्वीप को जोड़े जाने हेतु एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री कुलदीप राय शर्मा (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): चैथम-बैम्बू फ्लैट ब्रिज-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर द्वीप समूह से संबंधित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में चैथम द्वीप और बैम्बू फ्लैट द्वीप को जोड़ने के लिए 2,000 करोड़ रुपये के 1.6 कि.मी. के पुल का निर्माण शामिल है। वर्तमान में, लोगों को भूक्षेत्र के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए लगभग 48 कि.मी. की यात्रा करनी पड़ती है। पुल के निर्माण से दोनों क्षेत्र पास आ जायेंगे। इसे लागू करने का काम राष्ट्रीय राजमार्गों और अवसंरचना विकास निगम को दिया गया है। कोरोना महामारी के दौरान प्रस्तावित चैथम-बैम्बू फ्लैट ब्रिज के लिए बुनियादी कार्य रुके हुए थे जिससे डी.पी.आर. तैयार करने की प्रगति प्रभावित हुई। चैथम-बैम्बू फ्लैट ब्रिज के निर्माण में देरी से अंडमान और निकोबार द्वीपों के निवासियों में बड़ी चिंता पैदा हो रही है। डी.पी.आर. के प्रारूप को दिनांक 25.02.2023 को एन.एच.ई.आई.डी.सी.एल. मुख्यालय को अग्रेषित किया गया है, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त करने के लिए जांच के अधीन है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस पुल के निर्माण में तेजी लाने के लिए हस्तक्षेप करे और आवश्यक आदेश पारित करे जिससे दक्षिण अंडमान क्षेत्र के एक बड़े हिस्से से पोर्ट ब्लेयर शहर तक सुविधाजनक वाहन यातायात की आवाजाही में बड़ा परिवर्तन आएगा और कई गाँवों के यात्रियों की यात्रा में कम कम समय लगेगा।

(चार) इडुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रबड़ उद्योग को राजसहायता देना शुरू किए जाने की आवश्यकता

एडवोकेट डीन कुरियाकोस (इडुक्की): रबड़ देश के कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से केरल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक प्रमुख नकदी फसल के रूप में उभरा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र इडुक्की में रहने वाले कई लोगों के जीवन में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है। हालांकि, सरकार की कई नीतियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थितियों के कारण अतीत में रबड़ की कीमतों में गिरावट आई है। इसका हमारे देश के दीर्घकालिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि रबड़ कई उपभोक्ता उत्पादों और औद्योगिक प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अगर रबड़ की खेती लाभकारी नहीं रही, तो बहुत से किसान इसकी खेती करना छोड़ देंगे। इससे घरेलू बाज़ार में गंभीर कमी आएगी और विदेशी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भरता भी बढ़ेगी जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। अतः, विदेशों से आयातित रबड़ पर कम आयात शुल्क की नीति वास्तव में देश हित में नहीं है। सरकार को राजसहायता आरम्भ करनी चाहिए ताकि घरेलू बाजार में रबड़ की कीमत 300 रु. प्रति कि.ग्रा. तक बढ़ाई जा सके और इस कीमत को प्राप्त करने के लिए आयात शुल्क को भी समायोजित किया जाना चाहिए। मैं सरकार से आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता हूं ताकि यह कीमत जल्द से जल्द प्राप्त की जा सके।

28-07-2023

(पांच) मौजूदा नेशनल एक्ज़िट टेस्ट (एन.ईएक्स.टी) को प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. टी. सुमति ((ए)) तामिझाची थंगापंडियन (चेन्नई दक्षिण): नेशनल मेडिकल कमीशन (एन.एम.सी) के परस्पर विरोधी दावों के कारण नेशनल एक्ज़िट टेस्ट (एन.इएक्स.टी) पर संकट के बादल छा गए हैं। छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एन.एम.सी. की घोषणा के अनुसार, 2019 बैच के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। बिना किसी पूर्व सूचना के मॉक परीक्षा की घोषणा की गई, मानो कि यह परीक्षा छात्रों पर थोप दी गई थी। एन.इएक्स.टी. परीक्षा के रूप में, केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों (एम.सी.क्यू.) पर आधारित है। परीक्षा के लिए अध्ययन करते समय, छात्रों को केवल एम.सी.क्यू. प्रारूप पर ध्यान केंद्रित करना होगा न कि नैदानिक ज्ञान पर। वर्तमान विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम व्यावहारिक और शैक्षणिक ज्ञान दोनों का आकलन करता है। इसके अलावा, छात्रों को अलग से एन.ई. एक्स.टी ट्यूशन भी लेना होगा, जिससे छात्रों पर और अधिक बोझ पड़ेगा। तंजावुर, चेन्नई, तिरुवरूर और त्रिची में विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों के छात्रों ने इसे वापस लेने की मांग करते हुए जुलाई की शुरुआत में प्रदर्शन किया था। तमिलनाडु सरकार ने पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों के लिए नीट के कार्यान्वयन का लगातार विरोध किया है और एक और परीक्षा इसमें जोड़ना बिल्कुल अनावश्यक और असमर्थनीय है। इस आलोक में, मैं केंद्र सरकार से नेशनल एग्जिट टेस्ट पर प्रतिबंध लगाने और और भविष्य में ऐसी कोई भी परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध करती हूं।

(छह) सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए संघ की भर्ती एजेंसियों द्वारा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को आपस में जोड़े जाने और उनमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. पोन गौतम सिगामणि (कल्लाकुरिची): तमिलनाडु में तकनीकी और शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से उच्च ज्ञान और कौशल के साथ अधिक मानव संसाधन हैं और उनका अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है। मूल तमिलों के लिए पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु में केंद्र सरकार के कार्यालयों और केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य के लोगों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जा सकती है। कर्मचारी चयन आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया है कि दक्षिणी क्षेत्र से योग्य उम्मीदवारों की संख्या 28,081में से कुल योग्य लोगों का केवल 4.5% है। इसी तरह, दक्षिणी क्षेत्र में विभिन्न पदों के लिए चुने गए अधिकांश लोग तमिलनाडु से नहीं हैं। इससे बेरोजगार युवाओं में भारी निराशा पैदा होती है और इससे सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में भी काफी चिंता पैदा होती है। मैं अनुरोध करता हूँ कि संघीय भर्ती एजेंसियों द्वारा सभी परीक्षाओं के संचालन के लिए एक प्रणाली तैयार की जानी चाहिए।

(सात) मछलीपटनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर आर.ओ.बी./आर.यू.बी. के निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी (मछलीपटनम): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अर्थात आंध्र प्रदेश में मछलीपटनम और विजयवाड़ा के बीच 34 रेलवे फाटक हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर रेल ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) या रेल अंडर ब्रिज (आर.यू.बी.) जो भी संभव हो, का निर्माण करने की आवश्यकता है। ये फाटक हैं: 1. मछलीपटनम से चिलकालपुडी-5 फाटक 2. चिलकालपुडी से पेडाना - 2 फाटक 3. पेडाना से वड्लमन्नाडु - 2 फाटक 4. वडलामन्नडु से कवतराम - 2 फाटक 5. कवतराम से गुडलवल्लेरु - 1 फाटक 6. गुडलवल्लेरू से नुजेला - 1 फाटक 7. नुजेला से गुडीवाड़ा - 2 फाटक 8. गुड़ीवाड़ा से दोसपाडु - 6 फाटक 9. दोसपाडु से वेंट्राप्रगडा - 2 फाटक 10. वेंट्राप्रगडा से इंदुपल्ली -2 फाटक्स 11. इंदुपल्ली से तारिगोप्पुला 1 फाटक 12. तारिगोप्पुला से तेन्नुरु - 2 - फाटक 13. तेन्नुरु से उप्पलुरु - 1 फाटक 14. उप्पलुरु से निदमनुरु - 3 फाटक 15. निदमनुरु से रमावरापाडु - 2 फाटक। मैं माननीय रेल मंत्री से अपील करता हूँ कि इन फाटकों के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त करके प्राथमिकता के आधार पर इन फाटकों पर आर.ओ.बी.एस/आर.यू.बी.एस. का निर्माण करें।

28-07-2023

(आठ)बदलापुर, अंबरनाथ और डोम्बिवली रेलवे स्टेशनों पर ए.सी. लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे पर ए.सी. लोकल ट्रेन यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ट्रेनों की कमी और अन्य संबंधित कारकों के कारण कुल यात्री संख्या अभी भी कम है। मई 2022 की तुलना में मध्य रेलवे में यात्रियों की संख्या में 228 प्रतिशत और पश्चिम रेलवे में 309 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि, ए.सी. लोकल का उपयोग करने वाले यात्रियों की दैनिक औसत संख्या अभी भी लगभग 2 लाख के करीब है, जबकि पूरे उपनगरीय खंड पर प्रतिदिन लगभग 75 लाख यात्री हैं। मैं कल्याण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां रेलवे यात्रियों के लिए जीवनरेखा है और यात्रियों की ओर से ए.सी. लोकल ट्रेनों की मांग में वृद्धि हुई है। अतीत में, बदलापुर सहित नई ए.सी. लोकल अगस्त 2022 शुरू की गई थीं, लेकिन इन्हें बाद में वापस ले लिया गया। बदलापुर, अंबरनाथ और डोंबिवली जैसे स्टेशनों से ए.सी. लोकल की मांग बढ़ रही है और इस मार्ग पर ए.सी. लोकल परिचालन को फिर से शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कृपया हस्तक्षेप करके सुबह 8.00 बजे से 8.30 बजे के बीच बदलापुर, अंबरनाथ और डोंबिवली जैसे स्टेशनों पर ए.सी. लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू करने की व्यवहार्यता की जांच करे जिससे अधिकतम यात्रियों को लाभ होगा।

28-07-2023

(हिंदी)

(नौ) बिहार के कोसी और सीमावर्ती क्षेत्र में रेल सेवाएं आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): 1934 के विनाशकारी भूकंप की वजह से तथा 2008 की विनाशक बाढ़ से बिहार के कोसी तथा सीमावर्ती क्षेत्रो की कई रेल लाइनें क्षतिग्रस्त हो गयी थी। उसी समय की क्षतिग्रस्त रेल लाइन, पूर्व मध्य रेलवे के प्रतापगंज से भीमनगर 57 कि.मी. तक क्षतिग्रस्त रेल खंड का सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। साथ ही बिहारीगंज और बीरपुर के बीच नई रेल लाइन के लिए भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। परन्तु अत्यंत धीमी गति से सर्वेक्षण तथा अन्य कार्य होने की वजह से क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश है। निजी यात्री सड़क वाहन के मालिकों के द्वारा मनमानी किराया वसूली से क्षेत्र की जनता काफी त्रस्त है। रेलवे के सिवा यात्री सुविधा के लिए और कोई विकल्प नहीं है । कृपया उक्त रेल खंड पर सामरिक दृष्टिकोण से जनहित में यथाशीघ्र रेल गाड़ियों के परिचालन का शुभारम्भ किया जाय ।

28-07-2023

(अनुवाद)

(दस) लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कवरेज और सहायता प्रदान किए जाने और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अधिनियमों पर फिर से विचार किए जाने के लिए उचित नीतियों को लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील, (औरंगाबाद) : मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर आयोग अधिनियम 2021 और नैदानिक मनोवैज्ञानिकों पर इसके प्रभाव की ओर आकर्षित करता हूं। इस अधिनियम का उद्देश्य नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को छोड़कर, विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए नियामक निकाय प्रदान करना है, जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के माध्यम से भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) के दायरे में रहते हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हुए नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को क्यों बाहर रखा गया है। मैं सरकार से मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अधिनियमों पर फिर से विचार करने और व्यापक देखभाल सुनिश्चित करने, अस्थायी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को परिभाषित करने और रोगी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध करता हूं। इस मुद्दे का पर्याप्त रूप से समाधान करने के लिए मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य कानूनों, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के स्पेक्ट्रम और अपरिभाषित स्थितियों के लिए रोगी की सुरक्षा का अध्ययन आवश्यक है। एक बार अधिनियमों में संशोधन के बाद, वित्त मंत्रालय के समर्थन से गैर-अक्षम या अस्थायी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा को बीमा पॉलिसियों में शामिल किया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की बढ़ती व्यापकता के साथ, मानसिक कल्याण सेवाओं के लिए कवरेज और सहायता प्रदान करने के लिए उचित नीतियों को लागू करना महत्वपूर्ण है। मैं मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बीमा कवरेज के संबंध में सरकार की नीति और वर्तमान बीमा पैकेजों में ऐसी सेवाओं को शामिल करने की प्रतिबद्धता पर स्पष्टता चाहता हूं। हमारे नागरिकों की समग्र भलाई एक प्राथमिकता होनी चाहिए, और इन चिंताओं को दूर करके, हम मानसिक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। मैं सरकार से

28-07-2023

इस संबंध में तेजी से और परिश्रमपूर्वक कार्य करने तथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और इससे संबंधित सेवाओं को बढ़ावा देने का अनुरोध करता हूँ।

(ग्यारह) कोट्टायम में पासपोर्ट सेवा केंद्र को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री थोमस चाज़िकाडन, (कोट्टायम): पासपोर्ट सेवा केंद्र (पी.एस.के.) कोट्टायम का कामकाज तकनीकी और संचालनात्मक कारणों से 16 फरवरी, 2023 को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। माननीय विदेश मंत्री को इसके बारे में पत्र लिखने पर, मुझे बताया गया कि जिस भवन में पी.एस.के. चलाया जा रहा था वह सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं थी। पी.एस.के. कोट्टायम के लिए आवेदकों की नियुक्तियां पी.एस.के. अल्लपुझा (47 कि.मी., पी.एस.के. अलुवा (77 कि.मी.) और पी.एस.के त्रिपुनिथुरा (54 कि.मी.) के लिए कर दी गई हैं। इससे विशेष रूप से कोट्टायम जिले के आवेदकों को अत्यधिक असुविधा हो रही है। माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि आर.पी.ओ. कोचीन और सेवा प्रदाता पी.एस.के. कोट्टायम के लिए एक वैकल्पिक स्थान की तलाश में हैं। हालांकि, लगभग पांच महीने के बाद भी, पी.एस.के. के लिए वैकल्पिक स्थान के संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए इस निवेदन के माध्यम से मैं इस अनुरोध के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्रक्रिया को तेज करके कोट्टायम में पी.एस.के को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने की व्यवस्था करने पर विचार करें ताकि आवेदकों को होने वाली असुविधा से बचा जा सके।

———————

28-07-2023

अपराह्न 12.09 बजे

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक,2023

(हिंदी)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 14, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023.

माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

(अनुवाद)

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदय, आपकी अनुमति से, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।" … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति:प्रस्ताव पेश किया गया:

"यह कि खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

… (*व्यवधान*)

(हिंदी)

माननीय सभापति : श्री सुनील कुमार सिंह जी।

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।…(व्यवधान) भारत में खनिजों की खोज और खनन एक लंबे समय से जटिल समस्या से बाधित रही है। परंतु इस प्रक्रिया को सरल करने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2015-16, 2020 और 2021 में अनेकों संशोधन हुए हैं।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया अपनी सीट्स पर जाकर बैठें। बहुत महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है। आप इसमें भाग लीजिए और इसको सुनिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया अपनी-अपनी सीट्स पर वापस जाएं। कृपया चेयर को सहयोग करिए। यह आपका सदन है।

... (व्यवधान)

श्री सुनील कुमार सिंह : महोदय, प्रस्तावित संशोधन से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने...(व्यवधान) निर्भरता को मजबूत करने, आयात की निर्भरता कम करने और स्ट्रैटिजिक रूप से इंडस्ट्रीज़ की प्रगति के लाभ के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।...(व्यवधान) इसमें भारत के अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, ऊर्जा, इलेक्ट्रिक बैट्रीज़ इत्यादि क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर और विश्वस्तरीय बन सकेगा। इस दृष्टि से यह संशोधन किया जा रहा है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, इसके माध्यम से सरकार ने छः खनिजों को तय सूची से हटाने का सुझाव दिया है, ताकि उनको परमाणु सूची से बाहर कर इन संशोधनों के माध्यम से महत्वपूर्ण रूप से खनन और खनिज पदार्थों के उत्पादन में तेजी आए। इसके माध्यम से केन्द्र सरकार को इसको रिलीज करने का लाभ मिलेगा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति जी, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है, जैसे क्षेत्रीय, वायुमंडलीय, जियोग्रॉफिकल, भार सूचक सर्वेक्षण, भू-वैज्ञानिक मैपिंग, पीटिंग, ट्रेंचिंग, ड्रिलिंग और भूतल से उत्खनन में सुविधा होगी। यह विधेयक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगा।...(व्यवधान) अतः हम यह सकते हैं कि इस संशोधन से खनिज और माइनिंग के क्षेत्र में अधिक इन्वेस्टमेंट होगा और इससे बेहतर बुनियादी ढांचा और तकनीकी विकास होगा, जिससे उत्पादन क्षमता में सुधार होगा।...(व्यवधान)

महोदय, देशी अन्वेषण और माइनिंग को प्रोत्साहित करके भारत की आयात पर जो निर्भरता है, उसको कम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो लक्ष्य

है, हम उसको पूरा कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ जो ग्लोबल मार्केट है, उसमें भारत की स्थिति मजबूत होगी। इसके माध्यम से कंपनियों को अनुमति और लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो जाएगा और जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे, वे हर्डल्स भी समाप्त होंगे।...(व्यवधान)

महोदय, इन संशोधनों के माध्यम से राजस्व साझेदारी व्यवस्था में विशेषकर माइनिंग कंपनियों को फायदा होगा, जिनसे वह खनिज के क्षेत्र में खोजकर राजस्व कमा सकती हैं। कुछ खनिजों को महत्वपूर्ण और रणनीतिक बनाने के संशोधन केन्द्रीय सरकार को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में खनिज कंपनियों को कंसेशन देने की शक्ति प्रदान करती है, जिससे इस क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सकता है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, यह भारत की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बनाने में सफल होगा। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए पूरे सदन से ऐसी आशा करता हूं कि हम सब सर्वसम्मति से इस विधेयक का समर्थन करें।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। आपने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया और वह स्वीकृत हो गया है। उस पर चर्चा होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय उस पर व्यवस्था देंगे।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : दूसरा, आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, उसके ऊपर व्यवस्था दी जा चुकी है। उस व्यवस्था के प्रश्न को बार-बार उठाए जाने का कोई अर्थ नहीं है। जब चेयर से व्यवस्था दी जा चुकी है, तो कृपा करके उसका सम्मान कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी जी।

28-07-2023

(अनुवाद)

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी (ओंगोले): महोदय, मैं भारतीय खनन उद्योग से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से वाद-विवाद के दौरान उठाए जा रहे मुद्दों को नोट करने का भी अनुरोध करता हूँ … (*व्यवधान*)

कृषि उपज बाजार समिति (ए.पी.एम.सी.) के लिए आंध्र प्रदेश में लौह अयस्क के आरक्षण के मुद्दे पर, मैं सरकार को सूचित करना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कडप्पा जिले में एक नए इस्पात संयंत्र के विकास और संचालन के लिए वाई.एस.आर. स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की है ... (*व्यवधान*)

इस्पात संयंत्र की क्षमता प्रति वर्ष तीन मिलियन टन तक की होगी और यह उच्च श्रेणी के इस्पात उत्पादों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस्पात संयंत्र का उद्देश्य रायलसीमा क्षेत्र के लोगों के लिए स्थायी रोजगार और आजीविका के अवसर उत्पन्न करना है। ... (*व्यवधान*)

आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड (ए.पी.एम.डी.सी,) के लिए समुद्र तट रेत खनिज क्षेत्रों (बी.एस.एम) के आरक्षण पर, मैं बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश (ए.पी.) सरकार ने 16,604 हेक्टेयर को कवर करने वाले 16 समुद्र तट रेत खनिज (बी.एस.एम.) वाले क्षेत्रों के आरक्षण का प्रस्ताव किया है। ... (*व्यवधान*) वर्तमान में, 14 खनिज वाले क्षेत्रों की मंजूरी परमाणु ऊर्जा विभाग के पास लंबित है। आन्ध्र प्रदेश सरकार इन खनिजों का उपयोग करने के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए डाउनस्ट्रीम संयंत्रों के साथ एकीकृत समुद्र तट रेत खनिज परियोजना विकसित करने की योजना बना रही है। ... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति : ठीक है, धन्यवाद, माननीय सदस्य।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: अब, आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

… (*व्यवधान*)

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी: महोदय, भारत में लिथियम भंडार की खोज की बात करें तो, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के सलाल-हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम संसाधन (जी3) के होने की पुष्टि की है। … (*व्यवधान*)

(हिंदी)

श्री प्रहलाद जोशी : सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। यह एक तरफ गेम चेंजर भी हो सकता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब मैं वर्ष 2020-21 में इस बिल को लेकर आया था तो उस समय भी यही स्थिति थी। उस टाइम भी यह बिल डिन में पारित करना पड़ा था। उस समय भी उस तरफ के कुछ लोगों ने बिल का विरोध किया था। … (व्यवधान)

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2015 और 2020-21 के बाद और इसमें अमेंडमेंट के बाद 276 ब्लॉक्स ऑक्शन हो गए हैं। इसमें वर्ष 2021 से 2023 तक लगभग दो वर्ष में 168 ब्लॉक्स ऑक्शन हुए हैं।… (व्यवधान) इसका अर्थ यही है कि मोदी जी के मार्गदर्शन में हम हर क्षेत्र में बदलाव ला रहे हैं। फॉरेन अफेयर से लेकर बायो टेक्नोलॉजी तक और खनिज क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र तक हम जो कुछ भी बदलाव ला रहे हैं, वह देश के हित में है, देश में बदलाव दिख रहा है और देश का डेवलपमेंट दिख रहा है। स्पष्ट परिवर्तन दिख रहा है। … (व्यवधान)

वर्ष 2014 में देश की अर्थव्यवस्था फाइव फ्रेजाइल की लिस्ट में थी, भारत फाइव फ्रेजाइल इकोनॉमी की लिस्ट में था। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। आज, हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। यही कारण है कि स्वच्छ मन से, स्पष्ट दृष्टि और स्पष्ट मन के साथ, हम जो कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं, उसमें हमने फलाने को, चाचा, मामा और भाई-भतीजे को लाभ देने का कभी भी नहीं सोचा, लेकिन हमने देश के हित में सोचा। … (व्यवधान) इनके कालखण्ड में कोयले का अलॉटमेंट होता था तो इनके एक एमपी को सजा घोषित हुई, जो जेल जाने की कगार पर हैं। भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत जो प्रगति कर रहा है, उसमें हम कोयले के क्षेत्र में भी इतना बड़ा बदलाव लाए हैं।… (व्यवधान) इनके कालखण्ड में कोयले के क्षेत्र में केवल 567 मिलियन टन उत्पादन होता था। आज मैं गर्व के साथ

कहना चाहता हूं कि इस वर्ष 1000 मिलियन टन, यानी एक बिलियन टन से ज्यादा कोयला उत्पादन करके हम इस देश के एनर्जी क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। यह सब देखते हुए, आपने मुझे सूचना दी है कि जल्दी खत्म करना है, लेकिन मुझे बहुत बोलना था। ... (व्यवधान)

जो कुछ भी बदलाव इस देश में हुए हैं, अभी हम इलेक्ट्रिक व्हिकल की बात कर रहे हैं, लीथियम की बात कर रहे हैं। ... (व्यवधान) हम पहले कोयला सिर्फ इम्पोर्ट करने के बारे में बात करते थे, आज हम इतना कोयले का उत्पादन कर रहे हैं कि आने वाले एकाध वर्ष में, वर्ष 2025-26 तक थर्मल कोयले का इम्पोर्ट बन्द करने का निर्णय करके हम आगे बढ़ रहे हैं।... (व्यवधान) ये सब मन में रखते हुए, हम जो बदलाव लेकर आए हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें हम तीन बदलाव लेकर आए हैं।... (व्यवधान) पहले हम कम्पोजिट लाइसेंस और माइनिंग लाइसेंस देते थे। ... (व्यवधान) आज हमने एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने का एक प्रावधान इसमें रखा है। ... (व्यवधान) एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने का प्रावधान इसलिए रखा है कि पूरी दुनिया में जूनियर माइनर्स एक्सप्लोरेशन करते हैं और माइनिंग कंपनीज इसकी माइनिंग करती हैं। ...(व्यवधान) हमारे देश में यह प्रावधान नहीं था। ... (व्यवधान) हमने इसमें यह प्रावधान रखा है कि हम एमएल, सीएल के साथ-साथ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने का भी प्रावधान करें, जो ट्रांसपेरेंट ऑक्शन के रूट से होगा।... (व्यवधान) उसमें भी रेवेन्यू शेयरिंग का प्रावधान है, वह भी पूरा का पूरा ऑक्शन के रूट से होगा। ... (व्यवधान) इनकी तरह, जैसे इन लोगों ने डिस्क्रिशनरी रूट लेकर एलॉटमेंट करके, इनके एमपीज और कई अधिकारियों को इन लोगों के कारनामों के कारण जेल में भेजना पड़ रहा है।... (व्यवधान) ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे है, वह ट्रांसपेरेंट वे में कर रहे हैं।... (व्यवधान) हम अभी पोटाश का भी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और पोटाश की माइनिंग भी होगी। ... (व्यवधान) इसी के साथ, बाकी डिटेल्स मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं।... (व्यवधान) मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि हमारी लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स में 12 मिनरल्स थे, उनमें से लीथियम सहित 6 मिनरल्स को हम उस लिस्ट से हटा रहे हैं, क्योंकि उनका नॉन-एटॉमिक एप्लीकेशन ज्यादा है। ... (व्यवधान) इसलिए हम उन 6 मिनरल्स को हटाकर, 18

मिनरल्स, जो क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल्स हैं, उनको हम इसके पार्ट-डी में ला रहे हैं। जिन मिनरल्स को हम पार्ट-डी में ला रहे हैं, उनकी ऑक्शन हम सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे । ... (व्यवधान) उसकी माइनिंग लीज और कन्सेशन राज्य सरकार देगी । ... (व्यवधान) ऑक्शन का बोझ हम उठाएंगे । ... (व्यवधान) **[अनुवाद]** नीलामी की ज़िम्मेदारी हम लेंगे जबकि पूरा राजस्व राज्यों को जाएगा। यह मोदी सरकार का दृष्टिकोण है *...(व्यवधान)* **[हिंदी]** पहले क्या होता था? ... (व्यवधान) एलॉटमेंट रूट से सिर्फ रॉयल्टी दी जाती थी। प्रीमियम कराकर, ऑक्शन कराकर इसमें क्या-क्या बदलाव हुए हैं, यह मैं बताना चाहता हूं। ... (व्यवधान) वर्ष 2014 से पहले ओडिशा का रेवेन्यू सिर्फ 5000 करोड़ रुपये था, आज यह बढ़कर 49,000 करोड़ रुपये हो गया है। यह मैं आपको सिर्फ माइनिंग का रेवेन्यू बता रहा हूं। ... (व्यवधान) यह बदलाव हुआ है। ... (व्यवधान) मैंने तीन क्षेत्रों के बारे में बताया है – एक, हम एटॉमिक मिनरल्स से 6 मिनरल्स निकाल रहे हैं। हम पूरे 24 मिनरल्स को क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल्स की कैटेगरी में डालकर ग्रुप-डी में ऑक्शन कर रहे हैं। ... (व्यवधान) इसका रेवेन्यू स्टेट को मिल रहा है। ... (व्यवधान) यही कहते हुए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें हमने बीच सैंड मिनरल्स को इनक्लूड नहीं किया है।...(व्यवधान) बीच सैंड मिनरल्स पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व होगा।... (व्यवधान) इसके लिए हमारे माननीय मंत्री मुरलीधरन जी, जो केरल से आते हैं और प्रेमचन्द्रन जी ने भी मुझसे रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्वेस्ट को हमने स्वीकार कर लिया है। ... (व्यवधान) बीच सैंड मिनरल्स को हमने इससे बाहर रखा है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय, इसी के साथ, मैं इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करने की प्रार्थना करते हुए, अपनी बाकी स्पीच सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

2*• हमारी इस मातृभूमि में बहुत सारी मात्रा में खनिज संपत्ति है । इसको हम रत्न गर्भ वसुंधरा बोलते हैं ।

2*.....* भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया

• पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए इस प्राकृतिक संपत्ति और संसाधनों को बाहर निकालने का उपाय करना यह एक चैलेंज भी है और आवश्यकता भी है।

• जैसा आप सब जानते हो माइनिंग से हमारा इकोनामी भी बढ़ती है और रोजगार भी मिलता है। माइनिंग सेक्टर की एक डायरेक्ट जॉब 10 इनडायरेक्ट जॉब पैदा करती है।

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, इस को तीसरे स्थान में लाने का लक्ष्य भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है।

• इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत है और इसके साथ ही साथ हमको ट्रांसपोर्टेशन में भी ई.वी. से बहुत बदलाव लाना है।

• यह सब करने के लिए देश में जो मिनरल है उसको सतत तरीके में खनन करना है और उपयोग भी करना है।

• भारत में डिमांड एंड सप्लाई गेप बहुत ज्यादा रहने के कारण जो खदान का एलॉटमेंट करते हैं वह भी पारदर्शिता के साथ करना है।

• पहले की सरकार में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की पॉलिसी रखते हुए विवेकाधीन आवंटन तरीके से से मनमाने ढंग से अलॉटमेंट किया जाता था। इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ। सी.वी.सी. की रिपोर्ट आई, सी.बी.आई. केस हुए। कई लोग जाकर कोर्ट की कटघरे में खड़े हुए।

• अंत में इसका परिणाम प्रोडक्शन के ऊपर भी हुआ।

• जो मिनरल संसाधन हमारे पास है, उसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है।

• यह सब ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2015 में केवल नीलामी प्रक्रिया को हमने अपनाया।

• कोयले के ब्लॉक और अन्य मिनरल्स ब्लॉक में भी यह सिस्टम हमने शुरू किया।

• 2014 से पहले मिनरल सेक्टर की प्रगति भी नगण्य थी, स्टेट गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू कम मिल पाता था, उस समय सिर्फ रॉयल्टी थी।

• केवल नीलामी व्यवस्था के कारण राज्यों को प्रीमियम मिलना शुरू हुआ, बड़ी मात्रा में उनका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हुआ।

• अभी तक 276 मिनरल ब्लॉक नीलाम हो गए हैं।

• हम 2021 में भी एम.एम.डी.आर. अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव लाए थे तब भी कुछ लोगों ने विरोध किया था। लेकिन मुझे इस सदन को बताने में बहुत ही हर्ष की प्राप्ति हो रही है की 2021 के अमेंडमेंट के बाद सिर्फ पिछले 2 सालों में 168 मिनरल ब्लॉक का ऑक्शन हुआ है (61%)।

• उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे कई प्रदेशों में उनका रेवेन्यू कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। उदाहरण के लिए उड़ीसा राज्य का माइनिंग रेवेन्यू साल 2015-16 में 5798 करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2021-22 में 49,858 करोड़ रुपए हो गया है, यह 8 गुना की वृद्धि है। इसी प्रकार से कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी रेवेन्यू में काफी सुधार आया है।

• हम इस बात को नहीं नकारते हैं की माइनिंग का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है। लेकिन जो थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होता है उस से निपटने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डी.एम.एफ.) की स्थापना की। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि अब तक इस फंड में 77,000 करोड रुपए का कलेक्शन हुआ है।

• मोदी जी के आने से पहले हमारे देश में ओ.जी.पी. 5.7 लाख वर्ग किमी ही था। इसलिए हमने एन.एम.ई.टी. की स्थापना की और मिनिरल एक्सप्लोरेशन पर हमारे बल देने के कारण ओ.जी.पी. अब बढ़कर 6.88 लाख वर्ग किमी हो गया है। आज के दिन हम 30% एक्सप्लोरेशन कर चुके हैं।

• जैसे पहले कहा गया है कि बड़ी मात्रा में हमने भूवैज्ञानिक रिपोर्ट राज्यों को हैंड ओवर किया है। पिछले 1 वर्ष में हमने 250 से अधिक भूवैज्ञानिक रिपोर्ट राज्यों को सौंपी है।

• इसका परिणाम यह रहा है कि हमारा ओ.जी.पी. 10% से बढ़कर 30% हो गया है। यह सब मोदी जी के मार्गदर्शन के कारण ही संभव हुआ है।

• इसका और एक पॉजिटिव परिणाम यह रहा है कि लौह अयस्क प्रोडक्शन 258 मिलियन टन हो गया है। आपके कालखंड में जो ब्रह्मांड भ्रष्टाचार चलता था मोदी जी के इन 9 सालों में कोयला प्रोडक्शन में 47% वृद्धि हुई है और इस वर्ष पहली बार इस देश में हम 1000 मिलियन टन अर्थात. 1 बिलियन टन प्रोडक्शन को पार कर रहे हैं। इसका लाभ भी राज्यों को मिल रहा है। बड़ी मात्रा में जैसे मैंने पहले कहा, रेवेन्यू भी बड़ा है।

• आपके कालखंड में भ्रष्टाचार करके ही सांसदों को भी जेल की सजा घोषित हुई है। मोदीजी के कालखंड में, पारदर्शी व्यवस्था में निर्विवाद ऑक्शन के रूट से ब्लॉक एलॉटमेंट किए हैं और इस ऑक्शन की वजह से राज्यों के रेवेन्यू में काफी गुना की वृद्धि हुई है।

• मैं बताना चाहता हूँ, कुछ प्रदेश की सरकारों ने भूवैज्ञानिक रिपोर्ट हैंडओवर होने के बाद तुरंत खदानों का ऑक्शन किया है परंतु बहुत राज्यों में ऑक्शन होना बाकी है।

• इसके बावजूद भी गोल्ड, डायमंड, कॉपर, रॉक फास्फेट का पहली बार बड़ी मात्रा में ऑक्शन हुआ है।

• मुझे यह भी बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 14 गोल्ड ब्लॉक का ऑक्शन हो चुका है और बाल 12 ब्लॉक की अभी ऑक्शन की प्रक्रिया चल रही है।

• भारत गोल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। प्रतिवर्ष हम 800 से 900 टन गोल्ड का आयात करते हैं ।

• कुछ दिनों पहले, एम.पी. गवर्नमेंट ने 51 ब्लॉकों का ऑक्शन किया है, यह आज तक का एक साथ होने वाला सबसे बड़ा मिनरल ब्लॉक ऑक्शन है। इतना सब करने के बावजूद भी, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें एक्सप्लोरेशन ज्यादा करना चाहिए। खास करके क्रिटिकल और गहरे छुपे मिनरल्स में हमें एक्सप्लोरेशन बढ़ाना चाहिए। क्योंकि, दुनिया मैं वैश्विक परिस्थिति के कारण इसकी आपूर्ति-श्रृंखला सुनिश्चित नहीं है, बहुत रिस्की भी है।

• देश के विकास के लिए यह क्रिटिकल और डीप-सीटेड मिनरल्स बहुत आवश्यक है।

• हमको यह भी समझना होगा, डीप-सीटेड मिनरल्स जैसे गोल्ड डायमंड इत्यादि का एक्सप्लोरेशन बहुत महंगा और कठिन होता है।

• जो हम सर्फेशियल मिनरल्स बोलते हैं, उसकी तुलना में यह बहुत कठिन दायक है। इसी कारण से, यह सभी मिनरल हम इंपोर्ट करते हैं।

• आधुनिक जगत में, आधुनिक भारत निर्माण के लिए, यह मिनरल देश के लिए अनिवार्य है। हमें नेट शून्य का अचीवमेंट करने के लिए यह अनिवार्य है।

• यह सब ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री की नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम एम.एम.डी.आर. संशोधन बिल लाए हैं।

आज के दिन हम सी.एल. देते हैं, नहीं तो एम.एल. देते हैं, लेकिन यह माइनिंग करने के लिए पहले एक्सप्लोरेशन जरूरी है। जैसे मैंने पहले बताया हमारे देश में एक्सप्लोरेशन बहुत कम हो रहा है। 2014 से पहले सिर्फ 10% था अभी 30% है। डीप-सीटेड और क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत इन्वेस्टमेंट और खर्चा होता है।

• इसलिए, इस संशोधन की वजह से, जैसे हम सी.एल. और एम.एल. ऑक्शन करते हैं, एक्सप्लोरेशन के लिए भी ई.एल. देंगे और वह भी ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ ऑक्शन द्वारा होगा।

• फुल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने के लिए और ऑप्शन करने के लिए आज के दिन में कोई प्रोविजन नहीं है।

• दुनिया में अगर एक्सप्लोरेशन ज्यादा होता है क्योंकि बहुत से देशों में जूनियर माइनिंग का कांसेप्ट है। ऑस्ट्रेलिया में 600 सूचीबद्ध जूनियर माइनिंग कंपनियां हैं जो भौगोलिक दृष्टि से हमसे अधिक विशाल हैं। उसने इन जूनियर माइनिंग कंपनियों द्वारा किए गए अन्वेषण की मदद से लगभग 100% का ओ.जी.पी. हासिल किया है।

• संशोधन के द्वारा यह जूनियर माइनस का कांसेप्ट हम ट्रांसपेरेंट ऑक्शन रूट से हम जारी कर रहे हैं।

• इससे निजी क्षेत्र के लोग एक्सप्लोरेशन में रुचि लेंगे और नई टेक्नोलॉजी भी लाएंगे। और यह जो एक्सप्लोरेशन करते हैं, उसका डाटा पूरा स्टेट को देना पड़ेगा। डाटा देने के बाद 1 साल के अंदर ऑक्शन करना पड़ेगा। ऑक्शन से जो स्टेट को प्रीमियम मिलता है, इसमें जिस जूनियर एक्सप्लोरेशन में पैसा लगाया है उनको रेवेन्यू शेयर देने का - प्रावधान है, यह रेवेन्यू शेयरिंग भी ट्रांसपेरेंट रूट से है।

इस विधेयक में यह प्रस्ताव है कि कतिपय खनिजों (12 में से 6) खनिजों को पहली अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट परमाणु खनिजों की सूची से निकाला जाए। लिथियम जैसा मिनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारी ऊर्जा अंतरण और शुद्ध शून्य उत्सर्जन टारगेट अचीव करने में मदद करेगा। साल 2022-23 में भारत ने 23 हजार करोड़ रुपए का लिथियम इंपोर्ट किया है। इसके डिमांड में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि होने वाली है, 2050 तक 965% की वृद्धि होगी ऐसा वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कहती है।

• भारत में भी नवीकरणीय ऊर्जा में, ई.वी. में, उच्च-स्तरीय रक्षा उपकरण में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सेमीकंडक्टर फैब और बैटरी गीगाफैक्टरी इस देश में स्थापित करना चाहते हैं। यह सब के लिए लिथियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स अनिवार्य है।

• आज के दिन में लिथियम सहित टाइटेनियम, बेरिल और बेरिलियम युक्त खनिज, नाइओबियम-टैंटलियम ज़िरकोनियम एटॉमिक मिनिरल की लिस्ट में है।

• इन मिनरल्स का बड़ी मात्रा में गैर-परमाणु एप्लीकेशन भी है। इसके साथ ही साथ यह मिनरल्स फिसिल भी नहीं है, रेडियोएक्टिव प्रकृतिके भी नहीं है।

• इन मिनरल्स को एटॉमिक मिनरल्स के लिस्ट में इसलिए रखा था कि न्यूक्लियर रिएक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनका इस्तेमाल होता था। लेकिन अभी इनका उपयोग ऊर्जा से लेकर कई अन्य सेक्टर में भी होता है।

• एटॉमिक मिनिरल्स के लिस्ट में रहने के कारण इनका एक्सप्लोरेशन भी सीमित हुआ है, और माइनिंग भी सीमित ही हुई है।

• इसी कारण, इन 6 मिनरल्स को एटॉमिक मिनिरल्स के लिस्ट से बाहर लाना बहुत ही अनिवार्य है और देश के हित में भी है और इसका उपयोग एटॉमिक से ज्यादा नॉनएटॉमिक में हो रहा है।

• कई माननीय सदस्यों ने इसके हैंडलिंग को लेकर चिंता व्यक्त की है। जैसा मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह मिनरल्स फिशाइल नहीं है और यह रेडियोएक्टिव नेचर के हैं।

• **[अनुवाद]** मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि नियमों में पहले से ही यह प्रावधान है कि यदि कोई परमाणु खनिज अन्य गैर-परमाणु खनिजों के साथ मिलता है तो परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के पास ऐसे खनन पट्टों को समाप्त करने की शक्ति है।

• यदि जरा भी कोई परमाणु खनिज मौजूद हैं तो इसके पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं। इसलिए, इन खनिजों को हटाने से राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बल्कि, यह प्रस्ताव इन खनिजों के उत्पादन और उच्च-स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा विनिर्माण सहित उनके डाउनस्ट्रीम उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा और आत्मनिर्भर भारत में योगदान करेगा।

• इस बिल में यह भी प्रावधान है कि पहली अनुसूची के एक नए भाग घ को क्रिएट किया जाए. और इस भाग घ में, उन 18 महत्वपूर्ण खनिज और 6 खनिजों को शामिल किया जाये जिन्हें परमाणु खनिज सूची से हटा दिया गया है, जैसा कि विधेयक में उल्लेख किया गया है। चूंकि इसकी भारी मांग है और भविष्य में भी इसमें वृद्धि जारी रहेगी, इसलिए इन खनिजों का अन्वेषण और उत्पादन महत्वपूर्ण है।

•**[हिंदी]** कुछ राज्य सरकारों ने अभी तक एक भी क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक का ऑक्शन नहीं किया है। कई प्रदेशों को जी.एस.आई और एम.ई.सी.एल. ने 160 से ज्यादा जियोलॉजिकल रिपोर्ट हैंड ओवर किए हैं। इसके बावजूद एक भी ऑक्शन नहीं हुआ है अब तक।

• कुछ प्रदेशों ने बहुत ही कम ऑक्शन किए हैं, कुल मिलाकर ना के बराबर ही हैं।

•**[अनुवाद]** चूंकि ये महत्वपूर्ण खनिज हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अपरिहार्य हैं,इसलिए केन्द्रीय सरकार को इन महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी में रियायत देने के लिए अधिकृत करने से नीलामी की गति बढ़ेगी और खनिजों के शीघ्र उत्पादन में वृद्धि होगी।

• इसलिए इसमें यह भी प्रपोजल है कि इस महत्वपूर्ण मिनरल का ऑक्शन करने का बोझ भारत सरकार उठाएगी। नीलामी की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार उठाएगी।

• केन्द्रीय सरकार द्वारा नीलामी के संचालन के मामले में भी, चुने गए बोली लगाने वालों को खनिज रियायत केवल राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी और नीलामी प्रीमियम और अन्य वैधानिक भुगतान राज्य सरकार को प्राप्त होंगे।

• प्रीमियम सहित, सारा राजस्व राज्य सरकारों को ही जाएगा। केन्द्रीय सरकार इसमें से एक भी पैसा नहीं लेगी। हम यहां केवल राज्य सरकारों की सहायता के लिए हैं। **[हिंदी]** इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि कि सर्वसहमति से यह बिल पारित करने की कृपा करें। समुद्र तट रेत खनिजों के खनन के संबंध में किसी भी अस्पष्टता को बनाए जा रहे नियमों में स्पष्ट किया जाएगा।

मिनरल क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं इस सरकार से समर्थन का निवेदन करता हूँ, और इस बिल को सर्वसहमति से पारित करने का निवेदन करता हूं।*

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खण्ड 2 **धारा 3 का संशोधन**

28-07-2023

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

(अनुवाद)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 6,-

"लिए " *के पश्चात्*

अंत:स्थापित करें "केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण और प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए "।

(1)

पृष्ठ 2, पंक्ति 13,-

"से " *के पश्चात्*

अंत:स्थापित करें "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण और प्रशासन के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा"।

(2)

(हिंदी)

माननीय सभापति :अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।</u>

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 3 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

… (व्यवधान)

खण्ड 9 नई धारा 10ख क का अन्तःस्थापन

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 3 से 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

(अनुवाद)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति सं 31 से 33, -

प्रतिस्थापित करें "(3) केन्द्रीय सरकार, सभी राज्य सरकारों से लिखित सहमति प्राप्त किए बिना सातवीं अनुसूची में प्रविष्टियों को संशोधित नहीं कर सकेगी ।". (3)

पृष्ठ 3, पंक्ति सं 34 और 35,-

लोप किया जाए

"केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् और" (4)

पृष्ठ 3, पंक्ति सं 35,-

"केंद्र सरकार" *के स्थान पर*

प्रतिस्थापित करें "राज्य सरकार" (5)

पृष्ठ 4, पंक्ति 8,-

"कर सकेगी " *के स्थान पर*

प्रतिस्थापित करें "नहीं करेगी " (6)

पृष्ठ 4, पंक्ति 3 से 8,-

लोप किया जाए "केन्द्र सरकार ऐसी अवधि के भीतर ,जो राज्य सरकार के परामर्श से नियत की जाए ,खोज अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के लिए क्षेत्र को अधिसूचित करने की अपेक्षा राज्य सरकार से कर सकेगी और ऐसे मामले में,जहां राज्य सरकार ऐसी अवधि के भीतर क्षेत्र अधिसूचित नहीं करती है वहां, केन्द्रीय सरकार ऐसी नियत अवधि के अवसान के पश्चात खोज अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्षेत्र अधिसूचित कर सकेगी ।" (7)

पृष्ठ 4 से, पंक्ति 13 से 24 *का लोप करें* (8)

पृष्ठ 4 से, पंक्ति 25 से 35 *का लोप करें* (9)

पृष्ठ 4, पंक्ति 36,-

"केंद्रीय सरकार" *के स्थान पर*

प्रतिस्थापित करें "राज्य सरकार" (10)

पृष्ठ 5, पंक्ति 35,-

लोप करें "केन्द्रीय सरकार या" (11)

(हिंदी)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 से 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी, क्या आप संशोधन संख्या 15, 16, 18 से 21 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 से 19 विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

खंड20 पहली अनुसूची में संशोधन

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 12 और 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

(अनुवाद)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 8, पंक्ति सं 23 से 25, -

प्रतिस्थापित करें "समुद्र तट रेत खनिज और समुद्र तट की रेत जिसमें टाइटेनियम, इल्मेनाइट, रुटाइल, ल्यूकोक्सिन, गार्नेट, मोनाजाइट, ज़िरकोन , सिलिमेनाइट शामिल हैं।

(12)

पंक्ति 9, पंक्ति 15 *के लिए*,-

प्रतिस्थापित करें "समुद्र तट की रेत जिसमें टाइटेनियम, इल्मेनाइट, रुटाइल, ल्यूकोक्सिन, गार्नेट, मोनाज़ाइट, ज़िरकोनियम, सिलिमेनाइट जैसे खनिज शामिल न हो।"

(13)

(हिंदी)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 20 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 और 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

खंड 21 नई सातवीं अनुसूची का अंतःस्थापन

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

(अनुवाद)

श्री एन. के. प्रेमचंद्रन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 8, पंक्ति 16 और 17 *के लिए*,-

प्रतिस्थापित करें	"समुद्र रेत जिसमें टाइटेनियम, इल्मेनाइट, रुटाइल, ल्यूकोक्सिन, गार्नेट, मोनाज़ाइट, ज़िरकोनियम, सिलिमेनाइट जैसे खनिज शामिल न हो।" (14)

(हिंदी)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 21 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

(अनुवाद)

श्री प्रहलाद जोशी: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि विधेयक पारित किया जाए।

(हिंदी)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———————

माननीय सभापति : आइटम 15 और 16 साथ-साथ लिए जाएंगे ।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.28 बजे

राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023 और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री मनसुख मांडविया): महोदय, मैं प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूं :

"कि परिचर्या और प्रसूति विद्या वृतिकों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन और अनुरक्षण, संस्थाओं के निर्धारण, राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर के अनुरक्षण और पहुंच में सुधर करने, अनुसंधान और विकास के लिए प्रणाली के सृजन तथा अद्यतन वैज्ञानिक उन्नति के अंगीकरण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

और

"कि देश में दंत चिकित्सा के व्यवसाय को विनियमित करने, क्वालिटी और वहन योग्य दंत चिकित्सा शिक्षा का उपबंध करने, मुख संबंधी उच्च क्वालिटी की

स्वास्थ्य देखभाल को सुगम बनाने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल कमीशन एक्ट एंड नर्सिंग कमीशन एक्ट दोनों साथ में जुड़े हुए विषय हैं ।... (व्यवधान) हम जानते हैं कि देश में हम नेशनल मेडिकल कमीशन लाये ।... (व्यवधान) नेशनल मेडिकल कमीशन से यही अनुभव हुआ है कि देश में एमबीबीएस यानी मेडिकल एजुकेशन सिस्टमाइज हुआ ।... (व्यवधान) उसमें जो कमियां थीं, वे दूर हुईं... (व्यवधान) आज पारदर्शिता से देश में नए मेडिकल कमीशन के द्वारा एजुकेशन दी जाती है।... (व्यवधान) अच्छी तरह से क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है।... (व्यवधान) उस वक्त यह चर्चा की गई थी कि हम भविष्य में डेंटल कमीशन एक्ट भी लाएंगे और नर्सिंग एक्ट भी लाएंगे ।... (व्यवधान) समय-समय पर पार्लियमेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी सिफारिश की है और दोनों एक्ट पुराने हो गए थे । ... (व्यवधान) 60-70 साल पुराने एक्ट को बदलना आवश्यक था ।... (व्यवधान) बदलते समय नर्सिंग एजुकेशन में बदलाव हुआ । क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ । इंटरनेशनल मांग बढ़ी । इंटरनेशनल एजुकेशन स्पेसिफिकेशन बढ़ा ।

उसको देखते हुए हम देश में क्वालिटी एजुकेशन दें। हम एक दूरस्थ सिस्टम के द्वारा नर्सिंग एजुकेशन दें।... (व्यवधान)

दूसरा, वैसे ही डेंटल के बारे में है। डेंटल में पहले डेंटल इंडस्ट्री केवल एक ही शाखा थी । ... (व्यवधान) आज उसमें कई नई-नई शाखाएं जुड़ी हैं । देश में डेंटल कॉलेज भी बढ़े हैं । ... (व्यवधान) समय के साथ बदलाव करना यह समय की मांग होती है। उस मांग को देखते हुए हम दो बिल्स लेकर आए हैं।... (व्यवधान) उसका उद्देश्य यह है कि भविष्य में नर्सिंग एजुकेशन और डेंटल एजुकेशन दोनों एजुकेशन, उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सिस्टम अच्छी तरह से बने एवं अच्छी एजुकेशन मिले।... (व्यवधान) उसमें से आउटपुट के रूप में हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स निकलेंगे, डेंटिस्ट डॉक्टर्स निकलेंगे, वे अपनी बेस्ट सर्विस देश में भी प्रोवाइड करें और दुनिया में भी प्रोवाइड करके हिन्दुस्तान का नाम बनाएं तथा देश की रिक्वायरमेंट पूरी करें।... (व्यवधान) इस उद्देश्य के

साथ ये दोनों बिल्स लाए गए हैं।... (व्यवधान) इन बिल्स के ऊपर सदन चर्चा करे और उनको पारित करे। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि परिचर्या और प्रसूति विद्या वृत्तिकों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन और अनुरक्षण, संस्थाओं के निर्धारण, राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर के अनुरक्षण और पहुंच में सुधार करने, अनुसंधान और विकास के लिए प्रणाली के सृजन तथा अद्यतन वैज्ञानिक उन्नति के अंगीकरण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 57 विधेयक के अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 2 से 57 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

... (व्यवधान)

(अनुवाद)

श्री मनसुख मांडविया: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

'कि विधेयक पारित किया जाए।

(हिंदी)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि देश में दंत चिकित्सा के व्यवसाय को विनियमित करने, क्वालिटी और वहन योग्य दंत चिकित्सा शिक्षा का उपबंध करने, मुख संबंधी उच्च क्वालिटी की स्वास्थ्य देखभाल को सुगम बनाने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 59 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 59 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

… (व्यवधान)

(अनुवाद)

श्री मनसुख मांडविया: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि विधेयक पारित किया जाए।“

(हिंदी)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठिये। कुछ और काम कर लेते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बैठिये। आज प्राइवेट मैम्बर्स बिजनैस भी है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 31 जुलाई 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 12.34 बजे

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 31 जुलाई, 2023 / 9 श्रावण,1945 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

28-07-2023

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित